90

संख्या– /XVIII(II)/2014–18(102)/2014

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 30 सितम्बर, 2014

विषयः–जनपद पिथौरागढ की तहसील डीडीहाट के अंतर्गत चर्मा–जौरासी मोटर मार्ग से दुर्लेख तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल 0.630 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तांतरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1265/सात–65/2012–13 दि0–09.09.2013 एवं आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–6568/रा0प0/2013 दिनांक–13.11.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, ग्राम दुर्लेख, पट्टी जोरासी, तहसील डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़ के गैर ज0वि0 खतौनी श्रेणी 9(3)ग गौचर के खाता सं0–59 के खेत सं0–2441/0.050 है0, 2555/0.265 है0, 2557/0.023 है0, 2486/0.076 है0, 3218/0.050 है0, 3220/0.030 है0, कुल 0.494 है0 तथा श्रेणी 9(3)ङ बंजर काबिल आबाद खाता सं0–60 के खेत सं0–2254/0.095 है0, 2492/0.003 है0, 3214/0.018 एवं खेत सं0–3221/0.020 है0 कुल 0.136 है0 इस प्रकार उक्त दोनों खातों की कुल 0.630 है0 भूमि को वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15–02–02 के प्राविधानों के अधीन तथा लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के कम में लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

(2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

(3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

(5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

.....2

(6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

(7) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(8) प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या –3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–1 से 09 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तो के अनुपालन स्थिति से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0संख्या– 1042/समदिनांकित/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
उप सचिव।